

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव
संचालन प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पाली,
जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्र./3264/संविदा भर्ती/नियुक्ति आदेश/2021

--: आदेश :-

दिनांक 23/09/2021

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र./स्वा.आ. अं.मा./2021-22/161 रायपुर दिनांक 10.05.2021 एवं छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/23-08/2020/20-3/23/अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020 तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजनान्तर्गत कोरबा जिला के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पाली, संचालन प्रबंधन समिति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन क्र. 2064, दिनांक 05.08.2021 एवं दिनांक 07.09.2021 को जारी अंतिम चयन सूची के आधार पर स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पाली, जिला कोरबा हेतु निम्नांकित पदों पर संविदा नियुक्ति अधोलिखित शर्तों पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी को संचालन प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पाली, जिला कोरबा में दिनांक 30.09.2021 सायं 5:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण किया जाना है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

| S.NO. | NAME OF SCHOOL | DESIGNATION | SUBJECT/ LEVEL | NAME OF CANDIDATE | FATHER/ HUSBAND NAME | CAT. | PAY | ADDRESS |
|-------|----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|------|-------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SAGES PALI | LECTURER | PHYSICS | REKHA JALTARE | RAM RATAN JALTARE | UR | 38100 | MQ/470 DIPKA COLONY GEVRA PROJECT |

नियुक्ति की शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद/नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण माह के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
5. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
6. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा। तीन वर्ष की कालावधि के दौरान अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एक माह का वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
7. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर जारी आदेश लागू होंगे।
8. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
9. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।
10. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई

15